तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
7/9/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। बहस प्रा०पत्र 07 R11 सुनी गई। वकील अप्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र 07 R11 मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त वाद एक सवर्ण हिन्दू वादी द्वारा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा बैचान बताकर वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि के सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार का वाद वादी का नही चल सकता है और ऐसा वाद विधि विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। वकील वादी ने अपने जवाब मे निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रभाव मे आने से पूर्व से ही निरन्तर निर्बाध वादी के पजेशन में चली आ रही है। प्रतिवादी ने उक्त भूमि को मिलीभगत कर राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज करवा लिया। इसलिए इन्द्राज एव इनिशियों बोहड होने के कारण प्रकरण मिक्सड क्यूश्चन ऑफ फेक्ट्स एवं लॉ का बिन्दु विचारणीय है। जो पक्षकारान के साक्ष्य के बाद ही निर्धारित होगा। अत: प्रा०पत्र 07 R11 cpc मेन्टेनेबल नही होने से खारिज योग्य है। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं बहस वकील पक्षकारान द्वारा दिये गए तर्कों पर मनन किया। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के खण्ड (घ) के अनुसार "जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है;" के आधार पर प्रकरण में प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जाति के खातेदारी मे दर्ज होने के कारण वादी का वाद विधि विरूद्ध होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद विधि विरुद्ध होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.06.28 16:23:25 IST
Reason: SelfAttested